क्र.167(2)/एमपीआईडीसी/स्था.–से.नि. 17/2023/11128 भोपाल, दिनांक : 20/12/2023

//आदेश//

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल में सहायक यंत्री (सिविल) पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल के पत्र क्रमांक एमपीओ/बीडी/13027, दिनांक 25.09.2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान लेवल–12 रु0 56100–177500 (सातवाँ वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर सहायक यंत्री (सिविल) पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रूप से अगामी आदेश तक एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

क्र	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	पदस्थापना का स्थल
1	श्री अभिषेक तिवारी	ब्यौहारन टोला, टेओनी, मनगँवा, जिला–रीवा (म.प्र.), पिन कोड–486112	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 21, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
2	श्री पवन जून	म.न.202, मेन रोड वी.पी.ओ., पथरेड़ी, मानेसर, जिला–गुड़गाँव, हरियाणा, पिन कोड–122413	अनारक्षित	
3	श्री देवेन्द्र पाटिल	अमरनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, जिला–भोपाल (म.प्र.), पिन कोड–462042	अन्य पिछड़ा वर्ग	
4	श्री हिमांशु ककोड़िया	वार्ड न.–38, पाठाढाना रोड, चंदनगाँव, छिंदवाड़ा (म.प्र.), पिन कोड–480001	अनुसूचित जनजाति	
5	श्री अंतरसिंह चौहान	गाँव कानपुर, पटेल फलिया, जिला – अलीराजपुर (म.प्र.), पिन कोड–457887	अनुसूचित जनजाति	

2. उपरोक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम–2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं शासन के अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।

3. नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।

4. यह आदेश चयनित अभ्यार्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5. नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के पश्चात् तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

6. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यार्थियों को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।

8. संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नही कराया जाएगा।

9. इस आदेश से नियुक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।

10. यदि निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह 01 माह का समयावधि नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उवबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) उपबंधो का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

प्रबंध संचालक के आदेशानुसार।

(सी.एस. धुर्वे)
कार्यकारी संचालक

पृ.क्र.167(2)/एमपीआईडीसी/स्था.–से.नि. 17/2023/ **भोपाल, दिनांक : / /2023**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी मुख्यालय, भोपाल के निज सहायक।
3. महाप्रबंधक (स्थापना), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए उन्हें प्राप्त करने के उपरन्त ही कार्यभार ग्रहण सूनिश्चित कराएँ।
4. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसीलि, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर एवं रीवा।
5. मुख्य अभियंता/मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमपीआईडीसीलिः, मुख्यालय भोपाल।
6. महाप्रबन्धक, (स्थापना/प्रशासन), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
7. श्री/सुश्री .... की ओर पालनार्थ प्रेषित तथा सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात् तत्काल निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति आदेश सम्बन्धित अधिकारी के संदर्भ में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप

कार्यकारी संचालक